"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2005—ज्येष्ठ 20, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सतीश कुमार अग्रवाल आत्मज श्री के. पी. अग्रवाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 3-सी, सड़क नं. 4 बी, सेक्टर - 9, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं.

मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं मेरा पर्सनल नम्बर 400050 है. मैं अपने पुत्र वागिस अग्रवाल जन्म दिनांक 11 जुलाई 2002 का नाम परिवर्तित कर आर्यन अग्रवाल रख लिया है जिसके लिए मैंने सक्षम प्राधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है.

अत: अब मेरे पुत्र को आर्यन अग्रवाल पिता श्री सतीश अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वागिस अग्रवाल पिता श्री सतीश अग्रवाल पता- क्वा. नं. 3-सी, सड़क नं. 4 बी, सेक्टर-9, भिलाई तहसील व जिला - दुर्ग (छ. ग.)	आर्यन अग्रवाल पिता श्री सतीश अग्रवाल पता- क्वा. नं. 3-सी, सड़क नं. 4 बी, सेक्टर-9, भिलाई तहसील व जिला - दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सूरजपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर के समक्ष

विविध प्र. क्र. 01 बी-121/04-05.— चूंकि श्री विवेकानन्द चौबे आ. स्व. श्री बृजनारायण चौबे एवं अन्य 16 निवासी ग्राम/नगर/थाना/तहसील सूरजपुर ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 2-5-2005 को विचार के लिए लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में जो आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सूरजपुर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 2-5-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : जय माँ दुर्गे भवानी मंदिर ट्रस्ट नवापारा, मेन रोड सूरजपुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(2) लोक न्यास की संपत्ति का विवरण : ग्राम तिलसिंवा, रा. नि. मं. सूरजपुर, तहसील सूरजपुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)

स्थित भूमि	ख. नं.	रकबा
	448/1	0.073
	448/2	0.089
	448/3	0.073
	3 प्लाट	0.233

अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.